

प्रेषक,
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।
सेवा में,

- (1) अपर निदेशक, (आप्रो/महाप्रदेश)
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उ०प्र०, कानपुर।
- (2) समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय,
लखनऊ, दौराला मेस्ट, वाराणसी एवं झाँसी।
- (3) प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय पॉलीटेक्निक, राजकीय महिला पॉलीटेक्निक,
राजकीय चर्म संस्थान आगरा, कानपुर एवं एन०आर०आई०पी०टी०
इलाहाबाद।

पत्रांक: 3036-3129/ई-स्था०छा०वेतन आयोग(ए०सी०पी०), दिनांक 20-05-2010

विषय-वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था।

महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० वे०आ०-2-1632/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05.11.2009 के क्रम में वे०आ०-2561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04.05.2010 के द्वारा शासन ने समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को ए०सी०पी० की नई व्यवस्था लागू की है।

उक्त शासनादेश के द्वारा शासन ने ए०सी०पी० के अन्तर्गत सीधी भर्ती के प्तिरी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय स्तरों पर प्रोन्नयन करतिपय शर्तों के अधीन दिये जाने के आदेश दिये गये है। इसी शासनादेश के पैरा-5(1) के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के परिप्रेक्ष्य में इस निदेशालय के पृष्ठानकन पत्र सं० 1141-211/ई-स्था०छा० वेतन आयोग, दिनांक 22.04.2010 द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है।

उक्त कमेटी के द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु सूचनाओं की आवश्यकता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए संलग्न प्रारूप निर्धारित किये गये है जिसके संलग्न (प्रारूप-1) पर समस्त कार्मिकों की सूचना उपलब्ध करायी जानी है।





उक्त के अतिरिक्त 10 वर्ष, 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर स्तरोन्नयन दिये जाने हेतु क्रमशः (संलग्न) (प्रारूप-2), (प्रारूप-3) एवं (प्रारूप-4) पर सूचनाओं उपलब्ध करायी जानी है।

उपरोक्त सूचनाओं के साथ प्रारूप में अंकित प्रमाण-पत्र भी अंकित एवं हस्ताक्षरित कर सूचनाओं को क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रेषित किये जाये।

उपरोक्त सूचनायें प्रत्येक दशा में पूर्णकर 15 जून तक इस निदेशालय को प्रेषित करें प्रत्येक छमाही में उपर्युक्त तथा प्रारूप 2,3 एवं 4 में शासनादेश दिनांक 04.05.2010 के पैरा 5(2) में होने वाली प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी एवं जुलाई में होने वाली बैठकों हेतु दिसम्बर तक की सूचना 15 नवम्बर तक एवं जून तक की सूचना 15 मई तक उपलब्ध कराये ताकि उस पर अग्रेतर कार्यवाही/विचार कर संस्तुति स्वीकृत करने हेतु प्रेषित किये जा सकें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०सी० राजपूत)
अपर निदेशक,
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।


शासनादेश सं० वे०आ०-२-५६१/रस-६२(एक)/२००६, दिनांक ०४.०५.२०१० के निर्वाहानुसार सुनिश्चित क्षेत्र प्रोजेक्शन (र०सी०पी०) की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव कायंलाय/संस्था का नाम:-

पृष्ठ सं०




क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सीमा अर्दी के पर पर प्रथम नियमित नियुक्ति			१० वर्ष पूर्ण करने का दिनांक			१० वर्ष के मध्य कोई पदोन्नति हुई है तो उसका विवरण			संशोधनक रोग के संबंध में चरित्र प्रविष्टि की स्थिति। 10 वर्ष की अवधि में प्रतिवर्ष की वधा में चरित्र प्रविष्टि की व्याख्यापति संलग्न करें।	अव्युक्ति
				दिनांक	पदनाम	वैतनमान	दिनांक	पदनाम	वैतनमान	दिनांक	पदनाम	वैतनमान		
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	7	8	9		

कार्यालय/संस्था का नाम

पृष्ठ सं०-३

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सीमा अर्दी के पर पर प्रथम नियमित नियुक्ति			१४ वर्ष पूर्ण करने पर देय पदनाम प्रोन्नति वैतनमान			१६ वर्ष पूर्ण करने का दिनांक			सीमा अर्दी के पर से १० वर्ष के मध्य यदि पदोन्नति हुई है			१४ वर्ष से १६ वर्ष के मध्य की चरित्र प्रविष्टि की स्थिति। प्रतिवर्ष की वधा में चरित्र प्रविष्टि की व्याख्यापति संलग्न करें।			अव्युक्ति
				दिनांक	पदनाम	वैतनमान	दिनांक	पदनाम	वैतनमान	दिनांक	पदनाम	वैतनमान	दिनांक	पदनाम	वैतनमान				
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	7	8 (अ)	8 (ब)	8 (स)	9	10				

कार्यालय/संस्था का नाम

Endusep Agriwml-432AN

शारदादेश सं० वे०अग २ 561/दश 62(सक)/2008, दिनांक 04.05.2010 के निर्णयानुसार सुनिश्चित कैरियर प्रोजेक्शन (ए०सी०पी०) की स्वरथा हेतु तल्लि

सूचना:-

कायालिख/संस्था का नाम:-


प्राकूप-1

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सही भर्ती के पद पर प्रकृ निगमित नियुक्त का		8/10 वर्ष पर स्वीकृत वेतन वृद्धि का दिनांक	14/16 वर्ष पर दिया गया प्रोन्नति वेतनमान		प्रथम नियमित प्रोन्नति (यदि हुई है)	
				पदनाम	दिनांक		वेतनमान	दिनांक	वेतनमान	दिनांक
1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	6	7(अ)	7(ब)	8(अ)	8(ब)

19 वर्ष पर एक वेतनवृद्धि का दिनांक	24 वर्ष पर देय प्रोन्नति वेतनमान		द्वितीय नियमित पदोन्नति (यदि हुई है)		यदि द्वितीय पदोन्नति के पश्चात् कोई पदोन्नति हुई है तो:-		वर्तमान में दिनांक 01.01.2006 या विकल्प की दिनांक को वेतन खण्ड में वेतन एवं ग्रेड-ये		अभ्युक्ति		
	दिनांक	वेतनमान	दिनांक	वेतनमान	पदनाम	वेतनमान	वेतनवृद्धि	वेतन			
9	10(अ)	10(ब)	11(अ)	11(ब)	12(अ)	12(ब)	12(स)	13(अ)	13(ब)	13(स)	14

टिप्पणी

1. प्रधानाचार्य द्वारा उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है का प्रमाण-पत्र अंकित करें।
2. यदि किसी कर्मचारी की प्रतिगणना प्रसिद्धि है तो अभ्युक्ति में उक्तका विवरण अंकित करें।
3. पूर्ण सूचना की सी०डी० नी साथ में संलग्नकर प्रेषित करें।
4. तदर्थ नियुक्त की दशा में कर्मचारी का विवरण उपरोक्तत्रिजलण से प्रेषित किया जाये तथा कालम 5 में उक्त तदर्थ शब्द अंकित किया जाए।



कार्यालय/संस्था का नाम

(द्वितीय स्तरोन्नयन हेतु)

पृष्ठ संख्या 4

क्र० सं०	आधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	उपरोक्त दिनांक/वर्ष का नाम	पहला प्रोन्नति यदि हुई है			द्वितीय प्रोन्नति यदि हुई है				
				दिनांक	पदनाम	वेतनमान	दिनांक	पदनाम	वेतनमान		
				5 (अ)	5 (ब)	5 (ख)	6 (अ)	6 (ब)	7 (अ)	7 (ब)	7 (ख)

24 वर्ष पर देय द्वितीय प्रोन्नति केतनमान	द्वितीय प्रोन्नति			द्वितीय प्रोन्नति के बाद यदि कोई प्रोन्नति हुई है:			24 वर्ष/द्वितीय प्रोन्नति को भी बाद में हो के पश्चात् 26 वर्ष के समय यदि प्रोन्नति यदि प्रोन्नति हो तो अधिकतर कर धाराप्रति संलग्न करें।	आवृत्ति	
	दिनांक	पदनाम	वेतनमान	दिनांक	पदनाम	वेतनमान			
8 (अ)	8 (ब)	9 (अ)	9 (ब)	9 (अ)	10 (अ)	10 (ब)	10 (ख)	11	12

प्रत्येक स्तरोन्नयन को प्रमाण-पत्र अंकित करें।

1. उपरोक्त विवरण सेवा अभिलेखों के आधार पर सही है।
2. उपरोक्त विवरण में अधिकतम कर्मचारियों को अधिकतम प्रोन्नति के अतिरिक्त अन्य कोई प्रोन्नति प्रोन्नति नहीं है तथा सेवाओं संतोषजनक है।
3. उपरोक्त अधिकतम कर्मचारियों का निवृत्त/सेवा संबंधी कोई भी वाद न्यायालय में लंबित नहीं है यदि लंबित है तो उसका पूर्ण विवरण अंकित संलग्न करें।

प्रतिस्तराश्रित
संयुक्त विदेशक

दस्तावेज
प्रमाणनामाई